FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

मिसल नम्बर :– ....80..../2024

दावा :– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उनवानी

श्रीमती अनुप कंवर **बनाम** राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2024	आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत वादिया की ओर से उनके अभिभाषक श्री विजय कुमार जांगिड़ ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों पर एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता वादिया को सुना गया। वाद में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। वादिया के द्वारा राजकीय भूमि स्थित राजस्व ग्राम हरिड़या खसरा नम्बर 611 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण शुदा भूमि के खातेदारी अधिकारों की बाबत घोषणा चाही गई है, जो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत नियमन की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादिया का हस्तगत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत पोषणीय नहीं होने से एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:09 IST
Reason: SelfAttested